

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-08वीं अक्टूबर 2022

सेवा में,

AVIJEET KUMAR,

DR. AVIJEET GAUTAM GROUP OF TECHNICAL INSTITUTION,
FLAT NO-102, 1/A ROAD, DROPADIKUNJ APARTMENT,
NEW PATLIPUTRA COLONY, PATNA, BIHAR 800013

विषय:- मौजा-Konra, प्लॉट नं0-Survey Plot No. 807(P), 1485(P), 1486(P), 1487 (P), 1490(P), 1491(P), 1524(P), 1525(P), 1526(P), 1523(P), 1534(P) & Industrial Plot No. 13/I-B, खाता नं0-32, 46, 52, 54, 59, 72, 78, वार्ड नं0-N/A, थाना-Barhi (72), जिला-हजारीबाग में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित शैक्षणिक भवन का स्थल की जांच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया । उन्होंने अपने ज्ञापांक-219 दिनांक-29.09.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के परिसर के सामनेवाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके ।
2. शैक्षणिक भवन में अग्निशमन कार्य हेतु दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय ।
3. भवन के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150MM डायामेटर वाले एक-एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी० लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय ।
4. भवन के चारों तरफ 150MM डायामेटर वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय । जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय । यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय ।
5. भवन के परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय ।
6. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम एक अदद 1650 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय एवं जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।
7. 450 Lpm क्षमता वाले टेरेस पम्प का संस्थापन किया जाय ।
8. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय ।
9. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे । ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे । इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय ।
10. भवन के सभी तलों को ऐड्रेसेबल टाईप स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय ।
11. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से ही कराया जाय ।
12. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय ।
13. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय । सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो ।

14. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार-चार अदद डी0सी0पी0 एवं 04.5 के0जी0 क्षमता के सी0ओ0टू0 04-04 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
16. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. भवन निर्माण कार्य हाई टेन्सन बिजली के तार को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार छोड़कर भवन निर्माण कार्य किया जाय।
18. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
19. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
20. प्रस्तावित शैक्षणिक भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
21. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।